

30/09/21

वादी जी और से जरिए वकील प्राबन्धि पत्र बाबत ड्रॉप करने हेतु पैशा क्रम पर पत्रावली नियम इकजाही पैशी से तलब होकर आज पैशा हुई। वकील जी ने प्रा० पत्र पैशा कर निर्वादन किया की प्रकृति प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः पत्रावली ड्रॉप करने की कृपा करें। वकील वादी का प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली वसीकर पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण में अभी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली प्रकृति प्रकरण होकर नम्बर से कम है। तथा बाद तकमील काबिल कृपलर है। यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

